



भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय घाटशिला, पूर्वी सिंहभूम।

(आदेश फलक)

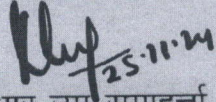
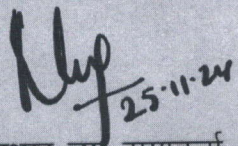
नामान्तरण अपील वाद संख्या-29/2018-19

केस का प्रकार :- नामान्तरण अपील

भुवनेश्वर सिंह, पिता-श्री रामदेव सिंह अपीलकर्ता।

—बनाम—

अंचल अधिकारी, चाकुलिया (झारखण्ड सरकार) एवं अन्य 03 विपक्षी।

क्रमांक/ तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गयी कारवाई
25.11.24	यह नामान्तरण अपील वाद के अपीलकर्ता श्री भुवनेश्वर सिंह, पिता-श्री रामदेव सिंह, ग्राम-नया बाजार, चाकुलिया, थाना-चाकुलिया के द्वारा अंचल अधिकारी, धालभूमगढ़ (झारखण्ड सरकार), (2) छेदी सिंह, (3) बिरेन्द्र सिंह तथा (4) शिव मंगल सिंह, सभी के पिता-श्री रामदेव सिंह, ग्राम-नया बाजार, सुगनीबासा, थाना-चाकुलिया, जिला-पूर्वी सिंहभूम को पक्षकार बनाते हुए अंचल अधिकारी, चाकुलिया द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या-350/R27/2018-19 में दिनांक-27.09.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद दायर किया गया है। वाद की सुनवाई हेतु उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया, तथा अंचल अधिकारी, चाकुलिया से निम्न न्यायालय अभिलेख (LCR) की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, चाकुलिया के पत्रांक-16, दिनांक-22.01.2020 के द्वारा निम्न न्यायालय अभिलेख (LCR) प्राप्त कराया गया। वाद की सुनवाई में उभय पक्ष लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित हैं और न ही उनके अधिवक्ता की ओर से पैरवी की जा रही है। वादी एवं प्रतिवादियों को न्यायालय में उपस्थित हेतु नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु उभय पक्ष उपस्थित नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस वाद में अपीलकर्ता एवं प्रतिवादी का कोई अभिरुची नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वाद की कार्यवाही जारी रखना औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त बिना किसी निर्णय के वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित  भूमि सुधार उप समाहर्ता, घाटशिला।  भूमि सुधार उप समाहर्ता, घाटशिला।	